सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 269 राँची, सोमवार, 10 फाल्गुन, 1937 (श०)
29 फरवरी, 2016 (ई०)

## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

---

संकल्प

9 दिसम्बर, 2015

**विषयः-** **झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015 के स्वीकृति के संबंध में ।**

**संख्या--खा.प्र.1/ज.वि.प्र.(रा.खा.सु./रा.खा.आ.)7-5/2014 – 7380**--राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली बनाये जाने की आवश्यकता थी ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों को ससमय खाद्यान्न का वितरण किया जा सके एवं सुगमतापुर्वक उनके शिकायतों का निवारण हो सके।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा-40 की उपधारा (2) के खण्ड (च) में राज्य खाद्य आयोग के लिए नियमावली बनाने का अधिकार है।

3. उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 बनायी गई है जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**विनय कुमार चौबे,**
सरकार के सचिव ।

# "झारखंड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015"

भारत सरकार के राजपत्र की असाधारण अंक संख्या-29 दिनांक 10.09.2013 को प्रकाशित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभाव:-**

(क) यह नियमावली "झारखंड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015" कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) झारखंड राज्य खाद्य आयोग नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

**2. <u>परिभाषाएँ</u>**

(क) इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (2013 का -20)

(ii) "धारा" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा।

(iii) "राज्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।

(iv) "राज्य आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा -16 के अंतर्गत गठित झारखंड राज्य खाद्य आयोग।

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

(vi) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष।

(vii) सदस्य से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग का सदस्य।

(ख) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के अर्थ वहीं होंगे जो अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं।

**3. <u>राज्य खाद्य आयोग का गठन:</u>**

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा पुनर्विलोकन हेतु झारखंड राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृतियों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम के अधीन सौपे गये हों।

**4. <u>राज्य खाद्य आयोग की संरचना</u>**

राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(i) अध्यक्ष,

(ii) पाँच अन्य सदस्य; और

(iii) सदस्य सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का अधिकारी होगा।

- परन्तु राज्य आयोग में कम से कम दो महिलाएँ होंगी चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य, या सदस्य सचिव हों;
- परन्तु यह और कि राज्य आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य, या सदस्य सचिव हो।

5. **<u>राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति</u>**

(क) राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जायेगी:-

(i) वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों।

(ii) वैसे व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों।

(iii) वैसे व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(iv) वैसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(v) वैसे व्यक्ति जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का प्रमाणित रिकार्ड है।

(ख) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे। चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।

चयन समिति इस प्रकार होगी:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | मुख्य सचिव | - अध्यक्ष, |
| (ii) | सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | - सदस्य, |
| (iii) | सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य, |
| (iv) | सचिव/प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग | - सदस्य, |
| (v) | विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | - सदस्य सचिव |

(ग) उपरोक्त अंकित कंडिका 5 (ख) के अतिरिक्त राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के कार्यरत सदस्य को अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित कर सकेगी।

## 6. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए नियम एवं शर्तें

(i) राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होगा एवं वे पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकेगा।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय या अन्य हित रखते हों, जिससे आयोग को उनके कृत से प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वे अध्यक्ष अथवा सदस्य पद के पात्र नहीं होंगे।

(iii) वैसे व्यक्ति जिन्हें भारत के किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। उनके विरूद्ध अपराधिक मामला लंबित है या नहीं, इसके बारे में उन्हें घोषणा पत्र देना होगा।

(iv) वैसे व्यक्ति जिन्हें सरकारी सेवा अथवा अन्य किसी सेवा में रहते हुये हटाया गया हो या सेवा मुक्त कर दिया गया हो, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(v) अपने कार्यकाल से पूर्व भी अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद से पदच्युत हो सकते हैं: -

(क) यदि वे राज्य सरकार को अपना त्याग पत्र दें।

(ख) यदि

i. जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णित किया गया है; या

ii. जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता निहित हो; या

iii. जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने लिये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

iv. जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

v. जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बना रहना लोकहित में प्रतिकूल हो; या

vi. जिसने पद पर नियुक्ति हेतु गलत सूचना दी हो अथवा जानबूझ कर किसी तथ्य को छुपाया हो; या

vii. जो किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य बन गया हो और साथ में किसी भी स्तर पर कोई पद धारण कर लिया हो या किसी प्रतिबंधित संगठन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से संबंध रखता हो।

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को नियम 6 (v) के उप नियम ख-(iv), (v), (vi) एवं (vii) में विनिर्दिष्ट आधार पर अपने पद से नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो एवं जाँचोपरान्त दोषी न पाया गया हो।

(vi) अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति के तीन माह के भीतर तथा प्रतिवर्ष चल-अचल सम्पति इत्यादि की सूचना विभाग को देनी होगी।

**7. <u>राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते</u>**

(i) राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, आदि का वेतन एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) यदि सरकार के वर्तमान पदाधिकारी को राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवानिवृति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत न हो जायें।

(iii) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर वेतन भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होंगी।

(iv) (क) वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हों और वे राज्य आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को वेतन, भत्ते और सुविधाएं वही होंगी जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

**8. <u>राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को अनुमान्य अवकाशः</u>-**

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए घोषित निगोशियेबल इन्सट्रुमेन्ट ऐक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टियाँ, कार्यालय आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश तथा प्रतिबंधित/ऐच्छिक अवकाश के हकदार होंगे।

(ii) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(iii) अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिये सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगा।

**9. राज्य खाद्य आयोग के प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी**

राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य आयोग को प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराया जायेगा जिनकी संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। इनकी संख्या राज्य खाद्य आयोग के उचित कार्यकलाप के लिए उपयुक्त संख्या के आधार पर तय होगी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति और उनका वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/संशोधित की जायेगी।

**10. राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ:-**

राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होगी:-

(i) राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 को लागू करना एवं उसका अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करना;

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अध्याय-2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघन की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना;

(iii) राज्य सरकार को राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देना;

(iv) राज्य सरकार, उसके एजेंसी या स्वायत निकाय और गैर सरकारी संगठनों जो कि खाद्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के लिए कार्य करती है, उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यरत योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सलाह देना;

(v) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(vi) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-सभा के समक्ष रखी जाएगी;

(vii) राज्य खाद्य आयोग को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(viii) राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेसित किया गया है।

(ix) अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति होगी।

11. (i) राज्य खाद्य आयोग में कोई रिक्ति, इसके गठन में त्रुटि, इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य के नियुक्ति में त्रुटि या इसके प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती हो, की स्थिति में राज्य खाद्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

(ii) राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य सचिव की नियुक्ति की पद्धति एवं शर्तें, बैठकों का समय, स्थान, प्रक्रिया एवं शक्तियों का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।

**12. राज्य खाद्य आयोग की बैठक का स्थान, बैठक, कार्य दिवस एवं सदस्य सचिव की भूमिका तथा राज्य आयोग से संबंधित अन्य विषयः-**

(i) राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी राँची में अवस्थित रहेगा। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर सकेगी।

(ii) राज्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष करेगें।

(iii) यदि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वरीयतम सदस्य (नियुक्ति के क्रम में) अध्यक्ष के कार्यों का तब तक सम्पादन करेगा जबतक कि अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाय।

(iv) राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपना कार्य करने में असमर्थ हों तो आयोग के वरीयतम सदस्य (नियुक्ति के क्रम में) उनके कार्यों को तबतक सम्पादित करेगा जबतक कि अध्यक्ष अपने कार्यों का प्रभार पुनः नहीं ले लेते हैं।

(v) राज्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि झारखंड सरकार के सचिवालय के अनुरूप होगी।

(vi) सदस्य सचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसे किसी वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। आयोग के समस्त आदेश एवं निर्णय सदस्य सचिव अथवा इस हेतु नामित किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगें।

(vii) राज्य आयोग को सरकारी मुहर तथा संप्रतीक ऐसा ही होगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

**13. <u>अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया</u> -**

(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई प्रार्थी राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकेगा। आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर कोई अपील की जा सकती है। इस अवधि के बाद विलम्ब का विश्वसनीय कारण प्रस्तुत किये जाने पर आयोग अगर उचित समझे तो उस पर सुनवाई कर सकेगा।

(2) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी जो मामले किसी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के दायरे में नहीं आते हों, राज्य खाद्य आयोग में वैसे मामलों की शिकायत की जा सकेगी।

(3) किसी प्रार्थी या उनके प्रतिनिधि या उनके अधिवक्ता द्वारा कोई अपील या शिकायत व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक द्वारा राज्य खाद्य आयोग को प्रेषित की जा सकेगी। आयोग ई-मेल एवं ऑनलाइन पद्धति से भी अपील या शिकायत ग्रहण करने हेतु समुचित प्रबंध करेगा।

(4) अपील या शिकायत के साथ प्रार्थी के नाम, विवरण तथा पता के साथ ही जिसके विरूद्ध अपील या शिकायत की गयी हो, उसका नाम विवरण तथा पता दिया जाना तथा संबंधित दस्तावेज या साक्ष्य की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(5) आयोग द्वारा कार्यालय में एक हेल्पलाइन का प्रबंध किया जायेगा, जहां किसी प्रार्थी को अपील या शिकायत करने के संबंध में समुचित सहायता प्रदान की जायेगी। किसी की अपील या शिकायत को लिपिबद्ध करने संबंधी प्रक्रिया में सहयोग तथा इस हेतु आवश्यक स्टेशनरी इत्यादि उपलब्ध कराने, सुनवाई में उपस्थिति, निर्णय की समझ जैसे विषयों पर आयोग विशेष संवेदनशील एवं स्वयं-सक्रिय भूमिका निभायेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग को समुचित कुशल मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे।

## 14. <u>सुनवाई एवं निर्णय की प्रक्रिया</u>

(1) आयोग को प्राप्त प्रत्येक अपील अथवा शिकायत को एक क्रमांक प्रदान करते हुए प्रार्थी को प्राप्ति सूचना भेजी जाएगी तथा एक माह के भीतर पहली सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(2) विशेष परिस्थिति में आयोग अल्प-अवधि की सूचना पर सुनवाई कर सकेगा।

(3) सामान्यतः दो सुनवाई के बीच की अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी। सुनवाई की तिथि पर किसी प्रार्थी या प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण निर्णय को एक से अधिक बार नहीं टाला जाएगा।

(4) प्रत्येक वाद पर सुनवाई न्यूनतम दो सदस्यीय बेंच द्वारा की जायेगी जिसमें एक सदस्य अध्यक्ष भी हो सकते हैं। किसी विशेष मामले की सुनवाई हेतु अध्यक्ष दो से अधिक सदस्यों की बेंच गठित कर सकते हैं। मतभिन्नता की स्थिति में सम सदस्यीय बेंच के मंतव्य के मान्य वाद अन्य सदस्य/अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई हेतु रखा जायेगा एवं सुनवाई के पश्चात् उनके मंतव्य वाले बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा। परन्तु यह कि यदि बेंच के एक सदस्य का अन्य सदस्य जिनके समक्ष वाद रखा गया है, यदि वे आवश्यक समझे तो वाद विषम संख्या वाले बड़े बेंच के समक्ष पुर्नसुनवाई एवं निर्णय हेतु रखा जायेगा।

(5) आयोग की सुनवाई खुली होगी जिसका कोई नागरिक अवलोकन कर सकता है बशर्ते कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। सुनवाई के दौरान वादी, प्रतिवादी एवं अन्य के बैठने के लिए आयोग द्वारा यथासंभव व्यवस्था की जायेगी।

15. **अभिलेखों का संधारण, पारदर्शिता एवं अन्य**

(1) आयोग अन्य अभिलेखों के साथ-साथ सभी अपील और शिकायतों तथा उसके निष्पादन से संबंधित अभिलेख संधारित करेगा।

(2) आयोग समस्त अपीलों एवं शिकायतों संबंधी विवरण उनकी सुनवाई की तिथियों एवं समस्त निर्णयों इत्यादि की सूचनाओं व दस्तावेजों को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा एवं निरंतर अद्यतन करने की समुचित व्यवस्था करेगा।

(3) आयोग को प्राप्त होने वाली अपीलों एवं शिकायतों का क्रमांक निर्धारित करके प्राप्ति स्वीकृति भेजने, सुनवाई की तिथियों की ससमय सूचना प्रदान करने एवं आवश्यक सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराने, प्रतिवादी व्यक्तियों की सुनवाई हेतु उपस्थिति एवं आयोग के निर्देशों के अनुपालन, हेल्पलाइन इत्यादि विषयों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं तदनुरूप कार्रवाई हेतु राज्य सरकार की सहमति से उपनियम बनाने की शक्तियां आयोग के पास होंगी।

(4) आयोग के समस्त निर्णय, आदेश एवं दिशानिर्देश लिखित में होंगे तथा उनका समुचित कारण बताया जायेगा। इन्हें किसी व्यक्ति को निरीक्षण हेतु कार्यालय अवधि में उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) एक लोक प्राधिकार के बतौर राज्य खाद्य आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन हेतु स्वप्रेरणा से कदम उठाये जाएंगे ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के समुचित क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।

(6) अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा निष्पादित एवं उनके पास लंबित मामलों की सूची प्रतिमाह वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की जायेगी।

16. **निरसन या व्यावृतियाँ**

इस परिपत्र के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड राज्य में लागू संबंधित नियम, परिपत्र एवं आदेश निरसित हो जायेंगे एवं कोई कार्य या कार्यवाही जो पूर्व में लागू नियम, परिपत्र एवं आदेश के अंतर्गत की गई थी, के संबंध में यह माना जायेगा कि इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गई है या की गई मानी जायेगी, जब तक कि वह इस नियमावली के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित, रूपांतरित या परिवर्तित न कर दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**विनय कुमार चौबे,**
सरकार के सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 269—50 ।